

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1662 / 2013 / भीलवाड़ा

मैसर्स सुनील गांधी, भीलवाड़ा ।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा ।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा,

अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31.07.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2013 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 27 / वैट / 2013-2014 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 02.05.2013 में 26,74,992/- में से 30 प्रतिशत मजदूरी राशि अर्थात् 8,02,497/- को कम किये बिना सम्पूर्ण राशि 26,74,992/- पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति निर्धारित कर, 8,02,497/- पर 1.5 प्रतिशत की दर से कायम कर मुक्ति 12,037/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है जिसका निर्धारण वर्ष 2011-12 का निर्धारण आदेश प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 24 के तहत दिनांक 02.05.2013 को पारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, उक्तानुसार मांग राशि कायम की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।



लगातार.....2

की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि राज्य सरकार ने धारा 15 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ. 4(12)एफडी/टैक्स.डिवी/2005-80 दिनांक 11.08.2006 जारी की है जिसमें संविदा कार्य में प्रयुक्त माल को कर मुक्त करते हुये कार्य संविदा की प्रकृति के मद्देनजर, मुक्ति शुल्क निर्धारित किया है। अग्रिम कथन किया कि संविदा कार्य में निष्पादित माल के अतिरिक्त मजदूरी व अन्य खर्च जिन पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कर देयता नहीं बनने के कारण, अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जारी उक्त अधिसूचना के आलोक में 30 प्रतिशत खर्चों पर कर मुक्ति शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1999) 114 एस.टी.सी.265 को संदर्भित कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को इस बिन्दु पर पुष्टि करने को अपास्त कर, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।


उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में हस्तगत प्रकरण में जहां तक संविदा कार्य में निष्पादित माल के अतिरिक्त मजदूरी व अन्य खर्च जिन पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कर देयता नहीं बनने व अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, 30 प्रतिशत खर्चों पर कर मुक्ति शुल्क निर्धारित नहीं किया जाने का प्रश्न है, उक्त के संबंध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टांत मैसर्स ग्राउन्डर एण्ड कं० बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य (1999) 114 एस.टी.सी.265 का ससम्मान अध्ययन कर विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांत अधोहस्ताक्षरी के विनम्र मत में इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफडी/टैक्स.डिवी/2005-80 दिनांक 11.08.2006 में जिन कार्य संविदाओं का उल्लेख सूची में किया जाकर

अपील संख्या -1662/2013/भीलवाड़ा

जो शुल्क विहित किया गया है, वह कुल कार्य संविदा मूल्य (Total value of work contract) पर है जबकि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित बिन्दु कर्नाटक राज्य के विक्रय कर अधिनियम, 1957 की धारा 17(6) के प्रावधान जो दिनांक 01.04.1996 से पूर्व में विद्यमान थे, का निर्वचन था, जिसमें सकल पण्यावर्त, जो कार्य संविदा निष्पादन के दौरान के वस्तुओं या अन्य रूप में माल सम्पत्ति के रूप में अन्तरित हुयी हो, का उल्लेख था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी ऊपर उद्धरित अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में विशेष रूप से कुल कार्य संविदा मूल्य (Total value of work contract) पर मुक्ति शुल्क की दर अधिसूचित की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में, उद्धरित न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी की मदद नहीं करता। लिहाजा, विद्वान अपीलीय अधिकारी ने निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में विवादित बिन्दु की पुष्टि करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।


31.7.2014
(मदन लाल)
सदस्य